

"परिशिष्ट-3"

विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त अनापत्ति

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....शुनील सिंह.....  
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....श्री प्रेम सिंह.....निवासी.....जौक इन्द्रगढ़.....(पता)  
जिसके द्वारा अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली-2016 के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है, के पंजीकरण में इस विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक.....07/03/2020  
स्थान.....जौक इन्द्रगढ़

(माधव अग्रवाल)  
माधव अग्रवाल  
नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम-जौक  
पौड़ी गढ़वाल  
नाम व हस्ताक्षर

सचिव/अधिसासी अधिकारी/ग्राम प्रधान  
विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत  
(सील)

नोट-प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो कि विकास प्राधिकरण व स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत दोनों के ही अन्तर्गत आते हों, की दशा में विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

